अब सीसीटीवी की निगरानी में होगी विधि की पढ़ाई

अशोक केडियाल • जागरण

- छात्रों की बायोमैट्रिक हाजिरी, बार काउंसिल आफ इंडिया ने विधि पाठ्यक्रम के लिए लागू किए पांच नए नियम
- नियमों का पालन नहीं करने पर छात्रों के साथ संबंधित संस्थान पर होगी कार्रवाई

देहरादून: विधि के छात्रों को अब कालेज बंक करना भारी पड़ेगा। बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआइ) के नए मानकों के तहत अब विधि पाठ्यक्रमों की पढ़ाई सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। यही नहीं, छात्रों को प्रतिदिन कालेज में बायोमैट्रिक उपस्थिति भी दर्ज करानी होगी। संस्थानों को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पढ़ाई का एक वर्ष का रिकार्ड भी रखना होगा। ऐसा नहीं करने पर छात्रों के साथ संस्थान पर भी कार्रवाई होगी।

उत्तराखंड में एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, 10 से अधिक निजी विश्वविद्यालयों और वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों में विधि के पाठ्यक्रम (बीए-एलएलबी, बीबीए-एलएलबी, एलएलबी, एलएलएम आदि) संचालित किए जा रहे हैं। यहां प्रत्येक वर्ष 15 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं स्नातक विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं। अभी अधिकांश विधि संस्थान नाममात्र की पढ़ाई करा रहे हैं। विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अधिकांश छात्र नौकरी कर रहे हैं या अपने निजी कार्य में रमे हुए हैं। वह महीने में एक-दो बार ही कक्षाओं में नजर आते हैं। कई संस्थानों में तो विधि की पर्याप्त फैकल्टी तक नहीं हैं। बीसीआइ को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं, जिनका संज्ञान लेते हुए बीसीआइ ने अब विधि की डिग्री के लिए पांच नए नियम लागू किए हैं। बीसीआइ की ओर से जारी सरकुलर के अनुसार, विधि के छात्रों को इन्हीं नियमों के अनुसार आगे की पढ़ाई करनी होगी। नए नियमों के पालन का सभी छात्र-छात्राओं को शपथ पत्र भरना होगा, जिसे 10 अक्टूबर तक संबंधित विश्वविद्यालय में जमा किया जाना है।

ये हैं नए नियम

- छात्र पर कोई आपराधिक मामला न हो। इसका शपथ पत्र भी देना होगा।
- प्रतिदिन बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- एक से अधिक नियमित डिग्री पाठ्यक्रम में समानांतर रूप से प्रवेश नहीं ले सकेंगे।
- किसी संस्थान में नौकरी के साथ विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश मान्य नहीं होगा।
- सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी पढ़ाई। संस्थान इसका एक वर्ष का रिकार्ड रखेंगे।

बीसीआइ ने विधि पाठ्यक्रम की पढ़ाई के लिए कड़े मानक तय किए हैं, ताकि छात्र गंभीरता से कानून की पढ़ाई करें। अभी देखने में आता है कि कुछ संस्थान नियमित पढ़ाई नहीं करवाते और छात्र केवल परीक्षा देने पहुंचते हैं। बीसीआइ के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। विवि से संबद्ध कालेजों के प्राचार्य और निदेशक को इससे अवगत कराया जा रहा है।

-प्रो. ओंकार सिंह, कुलपति, वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय